

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:-एफ.4(36)/परि/सामा./2001

जयपुर,दिनांक:-

## आदेश

निदेशालय महिला अधिकारिता (जेण्डर प्रकोष्ठ), महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.16(4)(4) निमअ/जेण्डर/2011-12/11604-618 दिनांक 11.03.2013 की अनुपालना में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ.4(36) परि/सामा./2001/24107 दिनांक 24.12.2020 को अतिक्रमित करते हुए विभाग में मुख्यालय स्तर पर श्रीमती निधी सिंह, उप परिवहन आयुक्त (स.सु.) की अध्यक्षता में समिति पुनर्गठित की जाती है, जो मुख्यालय पर कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों का निराकरण करेंगी:-

1.	श्रीमती निधी सिंह	उप परिवहन आयुक्त (स.सु.)	अध्यक्ष
2.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	"विविधा" स्वयं सेवी संस्था	सदस्य
3.	श्री राधेश्याम शर्मा	जिला परिवहन अधिकारी (नियम)	सदस्य
4.	श्रीमती स्वाति दीक्षित	परिवहन निरीक्षक	सदस्य सचिव
5.	श्रीमती रेखा शर्मा	सूचना सहायक	सदस्य

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी उपरोक्त पत्र दिनांक 11.03.2013 (प्रतिसंलग्न) में जारी निर्देशानुसार उक्त समिति ऐसे शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण हेतु कार्य करेगी तथा किये गए कार्य की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगी।

(महेन्द्र कुमार खींची)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

जयपुर,दिनांक:-5/2/21

क्रमांक:-एफ.4(36)/परि/सामा./2001/ 2181 - 86

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, म.अ., महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 16(4)(4) निमअ/जेण्डर/2011-12/11604-618 दिनांक 11.03.2013 के क्रम में।
2. श्रीमती निधी सिंह, उप परिवहन आयुक्त (स.सु.), मुख्यालय, जयपुर।
3. श्रीमती विजय लक्ष्मी, "विविधा" स्वयं सेवी संस्था, 61/14 ए, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर।
4. श्री राधेश्याम शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी (नियम), परिवहन विभाग, जयपुर।
5. श्रीमती स्वाति दीक्षित, परिवहन निरीक्षक, परिवहन विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. श्रीमती रेखा शर्मा, सूचना सहायक, मुख्यालय, जयपुर।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)